

कार्यालय  
आयकर आयुक्त,  
रेलवे बोर्ड भवन, शिमला ।  
दिनांक : 5.9.2012

सेवा में,


श्री० अरगेनाइजेशन फार केरियर ऐजुकेशन एण्ड एनवायरनमेंटल  
अवेयरनेस इन नेक्सट जेनरेशन, गांव व डा० रैत, तहसील शाहपुर,  
जिला कांगड़ा ।

विषय: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ(5) के अधीन छूट।

.....  
कृपया अपने धारा 80छ(5)(vi) में approval हेतु दायर आवेदन का अवलोकन करें ।

2. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ(5) (1961 की 43) उक्त धारा में निहित सीमाओं एवं  
छूटों के अन्तर्गत अरगेनाइजेशन फार केरियर ऐजुकेशन एण्ड एनवायरनमेंटल अवेयरनेस इन नेक्सट जेनरेशन, गांव व  
डा० रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा को दिया गया दान दानकर्ता द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ  
(2)(b)(ii) के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने योग्य होगा।

3. यह अनुमोदन धारा 80छ(5)(vi) के तहत दिनांक 1.4.2012 से वैध है ।


  
( पी०एस०पुरिया )  
आयकर आयुक्त,  
शिमला, हि.प्र.।

नोट :

1. इन कर्तव्यों को जारी की गई रसीदों पर इस आदेश की संख्या और तारीख अंकित होनी चाहिए तथा यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि यह प्रमाण पत्र उपरोक्त अवधि के लिए वैध है ।
2. वार्षिक रिपोर्ट, आय एवं व्यय व्यौरा, प्राप्ति एवं भुगतान व्यौरा और तुलन पत्र इत्यादि आयकर विवरिणी समेत उचित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 में निहित अवधि के अन्दर आयकर अधिकारी, धर्मशाला को देना पड़ेगा ।
3. यदि अधिनियम में कोई संशोधन किया जाता है तो इस कार्यालय को तुरन्त सूचित किया जाए ।
4. अधिनियम में छूट में नवीकरण बाधित हो तो संबंधित निर्धारण अधिकारी के माध्यम से या सीधा ही जरूरी दस्तावेजों, नियम 11AA(1) व (2) में अपेक्षित दस्तावेजों, सहित इस कार्यालय को आवेदन करें ।

अतिरिक्त ध्यान दें :

1. आवेदक को (संबन्धित एक द्वारा) आयकर अधिकारी, धर्मशाला को । वह आवेदक द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरण की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि आवेदक/निर्धारिता धारा 80 छ में दी गई शर्तों एवं बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों को पालन कर रहा है या नहीं ।
3. आयकर समूह आयुक्त, पालमपुर रेंज, पालमपुर ।
4. आयकर मुख्य आयुक्त, हि. प्र. क्षेत्र, शिमला को सूचनार्थ ।
5. सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, दिल्ली को सूचनार्थ ।

  
( एन०डी०गोयल )  
आयकर अधिकारी, मुख्या०( तकनी.),  
शिमला ।